लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1686

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

1686. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश के साथ व्यापार प्रतिबंधों या व्यापार में व्यवधानों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, विनिर्माण या निर्यात संबंधी गतिविधियों के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग की बांग्लादेश पर निर्भरता कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या बांग्लादेश में आंतरिक अशांति और व्यवधानों के कारण भारत के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर वैश्विक वस्त्र निर्यात बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): जी नहीं, यह बताने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि भारतीय वस्त्र उद्योग से प्रभावित हुआ हो। घरेलू वस्त्र और अपैरल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किए गए कई सुधारों के कारण, रेडीमेड गारमेंट्स सहित वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 13.9% कम हो गई है। उक्त अवधि के दौरान, भारत का रेडीमेड गारमेंट्स सहित वस्त्रों और अपैरल का बांग्लादेश से आयात 705.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ग) और (घ): भारत वर्ष 2024 में वस्त्र और अपैरल का विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 27312.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात दर्ज किया है। भारतीय वस्त्र और अपैरल निर्यात ने इस अवधि के दौरान 100 से अधिक निर्यात गंतव्यों में वृद्धि दर्ज की है, जो बाजार में अधिक पैठ और निर्यात विविधीकरण को दर्शाता है। भारत सरकार ने वस्त्र और अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी पहल की हैं।

इसके अलावा, भारत ने हाल ही में भारत-ओमान एफटीए सहित 16 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, और न्यूजीलैंड तथा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए वार्ता संपन्न की है। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना है, जिससे बाजार पहुंच में सुधार हो और भागीदार बाजारों में भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना के निर्माण के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र की एंड टू एंड सहायता के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दी है।

****